उपस्थित – राकेश कुमार सिंह।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।
ए.बी.ए. नं0 652/2026
कृष्णदेव पंडित उर्फ किशन पंडित एवं अन्य बनाम् बिहार राज्य

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर।

ए.बी.ए. नं0 652/2026
खड़गपुर थाना कांड संख्या– 154/2026

---

1. कृष्णदेव पंडित उर्फ किशन पंडित
2. दीपक कुमार.
3. अमरजीत कुमार.....आवेदकगण।

बनाम्

बिहार राज्य.....विपक्षी।

आवेदकगण की ओर से – श्री मृत्युंजय कुमार सिंह विद्वान अधिवक्ता।
विपक्षी/सरकार की ओर से – श्री रामसेवक मंडल, विद्वान अपर लोक अभियोजक।

20.05.2026 आवेदकगण **1. कृष्णदेव पंडित उर्फ किशन पंडित, 2. दीपक कुमार एवं 3. अमरजीत कुमार** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता के द्वारा संचालित किया गया।

उभय पक्षों को सुना।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए है कि आवेदकगण निर्दोष है तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण इस अग्रिम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदकगण के विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है। सह अभियुक्त को रीना देवी को विचारण न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान की गयी है। प्राथमिकी दर्ज होने के विलंब के कारण को नहीं दिया गया है। आवेदकगण के विरुद्ध स्पष्ट आरोप नहीं है। आवेदकगण बंधपत्र दाखिल करने को तैयार है। अतः आवेदकगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक के द्वारा आवेदकगण के अग्रिम जमानत का विरोध किया गया।

प्राथमिकी के अनुसार अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि सूचक आशुतोष कुमार चौधरी के टंकित आवेदन के आधार पर यह है कि दिनांक 25.04.2026 को 08:00 बजे सूचक अपने खेत में गेहूं की तैयारी कर रहा था, तभी उक्त आवेदकगण लाठी, डंडा व खंती से लैश

लगातार

20.05.2026. होकर आये और अमरजीतने कहा कि हम चारों के नाम से दस–दस कट्ठा जमीन लिख दो, नहीं तो मारकर गाड़ देंगे। विरोध करने पर कृष्णदेव ने कहा कि गोली मार दो। अमरजीत ने पिस्तौल सटा दिया। दीपक कुमार लाठी से मारने लगा। सभी घेरकर मारने लगे। अमरजीत सुचक के पॉकेट से 4200/– रुपए ले लिया तथा कहा कि 10 दिन के अंदर बीस लाख रुपए नहीं दोगे, तो काटकर फेंक देंगे। सूचक को काफी चोट आयी। सूचक के आवेदन के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 190, 191(2), 191(3), 126(2), 115(2), 308(2), 308(3), 351(2), 351(3), 352 बीएनएस के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करायी गयी।

अभिलेख के अवलोकन से यह पाता हूँ कि आवेदकगण पर अन्य अभियुक्त के साथ मिलकर सूचक के साथ मारपीट करने तथा बीस लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया गया है। कांड दैनिकी में चिकित्सक द्वारा सूचक के जख्म को रिजर्व रखा गया है, परंतु सूचक को Vital Part पर जख्म नहीं हुआ है। आवेदकगण का कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थिति के आलोक में आवेदकगण **1. कृष्णदेव पंडित उर्फ किशन पंडित, 2. दीपक कुमार एवं 3. अमरजीत कुमार** को **पांच हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा विद्वान न्यायालय के संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है :–

1. **आवेदकगण के दोनों जमानतदार उसके ग्रामीण होंगे।**
2. **आवेदकगण आरोप गठन तक न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेंगे।**

लेखापित
Sd/-
(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
20.05.2026.

प्रतिलिपि :– विद्वान अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित आदेश की प्रति भेजी जाती है।

लेखापित

(राकेश कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय, मुंगेर
20.05.2026.